


745/16-17

तिथि	पदाधिकारी आदेश	अभ्युक्ति
24.11.2020	<p>अभिलेख उपस्थापित।</p> <p>उपायुक्त, धनबाद द्वारा प्राप्त निदेश एवं विभागीय पत्र संख्या—1704/रा०, दिनांक—15.07.2020 के आलोक में पूर्ण समीक्षा कर अभिलेख का निस्तारण करने का निदेश प्राप्त है। उक्त निदेश के आलोक में पुनः जमाबंदीदार रैयत/उनके वंशज को अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत करें।</p> <p>अभिलेख दिनांक—08.12.2020 को उपस्थापित करें।</p>	 <p>अंचल अधिकारी, निरसा।</p>
08.12.2020	<p>अभिलेख उपस्थापित।</p> <p>नोटिस का तामिला प्राप्त। जमाबंदीदार रैयत/उनके वंशज निर्धारित तिथि को उपस्थित/अनुपस्थित। इनके द्वारा अपने पक्ष में केवाला दलील, भूमि बंदोबस्ती से संबंधित हुकुमनामा, भूतपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत जमींदारी रसीद, फॉर्म M, लगान—रसीद, दिनांक 01.01.1946 के पूर्व का निबंधित दस्तावेज एवं अन्य ठोस साक्ष्यों की मूल प्रति/सत्यापित प्रति समर्पित किया गया है/नहीं किया गया है। इस संबंध में संबंधित राजस्व कर्मचारी को पुनः निदेश दिया जाता है कि एक पक्ष के अन्दर गहनतापूर्वक जाँच कर संबंधित भूमि का हाल खाता/प्लॉट का उल्लेख करते हुये अंचल निरीक्षक के माध्यम से चेक—लिस्ट एवं जाँच प्रतिवेदन समर्पित करें।</p> <p>अभिलेख दिनांक—28.12.2020 को उपस्थापित करें।</p>	 <p>अंचल अधिकारी, निरसा।</p>
28.12.2020	<p>अभिलेख उपस्थापित।</p> <p>संबंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त। संबंधित राजस्व उप निरीक्षक द्वारा अंचल निरीक्षक के माध्यम से विभागीय पत्रांक—1704/रा०, दिनांक—15.07.2020 एवं विभागीय संकल्प सं०—6144/रा०, दिनांक—21.12.2017 में वर्णित तथ्यों के आलोक में जमबांदी नियमितीकरण/रद्द</p>	

करने से संबंधित भूमि का स्थलीय एवं राजस्व कागजातों का मिलान कर जाँचोपरान्त प्रतिवेदित किया गया है कि प्रश्नगत भूमि मौजा-प्रिकुड़ी,  
मौजा नं-252, खाता सं-135, प्लॉट सं-797, रकवा-02750  
गत् सर्वे खतियान के अनुसार गैर आबाद खाते की भूमि है। उपरोक्त भूमि शहरी क्षेत्र के अन्तर्गत पड़ता है। उक्त भूमि शासकीय परिसरों/संस्थानों के आस-पास 150 मीटर के अन्तर्गत आता है तथा राजपथ/उच्चपथ/मुख्मार्ग के 150-150 मीटर के अन्तर्गत पड़ता है। फलतः उक्त भूमि का जमाबंदी नियमितीकरण नहीं की जा सकती है। संबंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा अवैध जमाबंदीदार रैयत महावीर लाल द्व. के नाम से पंजी-II में कायम जमाबंदी संख्या-115 को रद्द करने की अनुशंसा की गयी है।

अतः राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा-4(h) के तहत् पंजी-II में कायम जमाबंदी संख्या-115 को रद्द करने हेतु अनुशंसा के साथ अभिलेख मूल में भूमि सुधार उप समाहर्ता, धनबाद के माध्यम से अपर समाहर्ता, धनबाद को भेजें।



अंचल अधिकारी,  
निरसा।

अंचल अधिकारी निवेदित का कार्यालय

कृति संख्या वाद संख्या- 745/16-17

वाद का प्रकार- बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जांच एवं कार्रवाई से संबंधित।

झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक-2074/रा०, दिनांक-13.05.2016 सहपठित-श्री अनुज मुखर्जी, विदेशीक, भू-आर्द्ध-सह-विशेष विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या-०५-खामोनिटि-११०/८५/२३०८/रा०, दिनांक-०३.०९.१९८५ एवं सह-प्राप्ति राजस्व विभागीय, परिपत्र संख्या-९१४/रा०, दिनांक-०९.१२.१९९८ में निहित निदेश के अनुपालन में गैरगजरुआ खास भूमि की कायम की गयी जामबंदियों की जांच प्रारंग की गयी। जांच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं अ०नि०द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :-

मौजा-निवेदित, थाना-निवेदित, खाता संख्या- 135, प्लॉट संख्या- 135, अ०नि०द्वारा खाते की भूमि जो गैरगजरुआ खास उनावाद विभार (झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसका जमावंदी उरा मौजा के पंक्ती-१ के जिल्द संख्या- ११५ के पृष्ठ संख्या- ११५, पर जमावंदी रैयत महली२ साव फै० के नाम से कायम है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरिक्षक द्वारा जांचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जामबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरिक्षक द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जांच द्वारा विना राशन प्राधिकार के आदेश के/ अवैध दंडवस्ती के आधार पर/ अवैध कोङ्कर बंदोबस्ती के अधार पर/ अवैध लगान निर्धारण के अधार पर/ सादा हुकुमनामा के आधार पर, कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।

प्रथम दृष्ट्या उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमावंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत जांच किया जाना चाहियी ग्रातीत होता है।

अतएव, संबंधित जमावंदी रैयत को नाइस निर्गत वा उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद को मांग करें तथा उनको कारण-पृष्ठ लारें, कि क्यों नहीं उक्त जमावंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद् करने हेतु अनुशंसित किया जाय।

अभिलेख दिनांक-..... को उपर्याप्त करें।

उपर्याप्त एवं संशोधित

अंचल अधिकारी

अंचल अधिकारी